

कार्यालय आयुक्त कर,उत्तराखण्ड  
(धारा-57 अनुभाग)  
दिनांक: देहरादून: 25 नवम्बर 2009,

प्रार्थना पत्र सं० :-1454 दिनांक 1-6-09  
सर्वश्री जी सिऑंग इन्टर प्राईजेज,  
(यूनिट आफ जी सिऑंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०,  
बी०ओ०-4 इन्दर रोड (प्रीतम रोड)  
नियर दून इन्टर नेशनल स्कूल देहरादून।

प्रार्थी की ओर से - कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री जी सिऑंग इन्टर प्राईजेज(यूनिट ऑफ जी सिऑंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा०लि०,बी०ओ०-4 इन्दर रोड (प्रीतम रोड)नियर दून इन्टर नेशनल स्कूल देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, की धारा 57 के तहत दिनांक 01-06-09 को प्रार्थना पत्र देते हुये निम्न वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत लागू कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है:-

**Electronic Therapeutic Equipments**

- Thermal mats
- Thermal cushions
- Thermal pillows
- Thermal kneecaps
- Thermal foot massagers

**Assembly of other Electrical Equipments Such as**

- Electronic Display Boards
- Three Ball & Nine Ball projector assembly
- Power control Board assembly

**Others**

**Embossing labels**

- Waist belt
- Cushions

2- विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर देहरादून द्वारा उपलब्ध कराते हुये अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं पर करदेयता पूरी गयी है वे किसी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः उन पर रैवेन्यू न्यूट्रल रेट(R.N.R.) अर्थात प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी।

3- फर्म को सुनवाई हेतु दिनांक 31-8-09, 8-9-09, 22-9-09, 31-10-09, हेतु नोटिस जारी किया गया। फर्म की ओर से उक्त तिथियों में कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ही गुण दोष के आधार पर ही विचार किया जायेगा।

4- मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। फर्म द्वारा जिन वस्तुओं पर लागू कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है वह उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की किसी अनुसूची से आच्छादित नहीं है। अतः इनकी बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर रैवेन्यू न्यूट्रल रेट(R.N.R.) 12.5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक बिक्री के बिन्दु पर करदेयता लागू होगी। इस प्रकार फर्म द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

